

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र कवास

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

खीमाराम पुत्र हंजारीमल जाति माली
निवासी दूढ़ा कवास, तहसील व
जिला बाड़मेर।

1. कुम्पसिंह पुत्र साहेबसिंह
2. राजूसिंह पुत्र साहेबसिंह
3. तनसिंह पुत्र आम्बसिंह
4. सांवलसिंह पुत्र नगसिंह जातियान राजपूत निवासीयान नागर्णव्या दूढ़ा, तहसील व जिला बाड़मेर।
5. चेतनराम पुत्र प्रतापाराम
6. मिश्रीलाल पुत्र प्रतापाराम
7. मोतीराम पुत्र चैनाराम
8. नरसिंगाराम पुत्र कलाराम
9. खेताराम पुत्र मोटाराम
10. खराजराम पुत्र उम्मेदाराम
11. मेवाराम पुत्र चुनाराम जातियान माली निवासीयान दूढ़ा-कवास तहसील व जिला बाड़मेर
12. कंवराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी सेवरो की ढाणी, डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
13. मोधोसिंह पुत्र हजारीमल जाति माली निवासी 15/16 युआईओएफ सेक्टर प्रतापनगर, जोधपुर
14. मुकेश कुमार पुत्र केशरमल जाति कुम्हार निवासी हीराभवन, धोलामंडी, चोमू तहसील चोमू जिला जोधपुर
15. जयकिशन पुत्र केशरमल जाति कुम्हार निवासी हीराभवन, धोलामंडी, चोमू तहसील चोमू जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-614/2018 दिनांक-15.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दूढ़ा पटवार हल्का कवास, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 754/377 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 756/377 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 757/377 रकबा 01.12 बीघा, खसरा नम्बर 782/385 रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 1085/377 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1086/377 रकबा 01 बिस्वा कुला रकबा 03.09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 15/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6604-6607

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खीमाराम पुत्र हंजारीराम जाति माली निवासी दूढ़ा-कवास, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कुम्पसिंह पुत्र साहेबसिंह जाति राजपुत/माली/कुम्हार निवासी नागर्णव्या दूढ़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर